

क्रमांक : 9/उपा0/बीज/अनु0- 10/2018

2006

/कू0 पटना दिनांक 03-4-2018

प्रेषक:

हिमांशु कुमार राय मा.प्र.से.
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 कृषि विकास सहकारी सभिति लि0,
(भादरा, जयपुर)
पता- हरहर महादेव चौक,
हरख रोड, बेगूसराय

विषय :-

बीज बिक्री हेतु नयी बीज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र- 'ए' कोषागार चालान, स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जांच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 28/2018 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 02/04/2021 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक- 2408 दिनांक- 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0- बीज की सूची एवं प्रपत्र 'बी' संलग्न।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक- 03-4-18

ज्ञापांक : 2006

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनाार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

मे० कृषि विकास सहकारी समिति लि० द्वारा राज्य में निम्नलिखित फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जायेगा।

पत्रांक- 2006

दिनांक- 03/04/2018

LIST OF SEEDS

क्र०सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	GREEN GRAM (MOONG)	IMP 02-03, IPM-2-14, MH-421, SML-832, PANT-5, SML-421, SML-668
2	ARHAR	PAU-881, PANT-291, TJT-501
3	URD	PU-31, PU-40, KU 99-21
4	SOYABEAN	JS-9560, RVS-2001-4
5	G.NUT	K-9, DHARNI
6	SEASAME	RT-351, RT-346, G.T.3
7	CASTER	JWALA
8	SUNFLOWER	KBSH-53
9	GRAM	GNG-1581, GNG-1958, JG-14, RVG-202, RAJVIJAY, JAKI-9218
10	LENTIL	KL-320, KLB-303, IPL-316, PL-02, NDL-1
11	MUSTARD	RH-0406, PM-30, PANT RAJ-19, UTTARA, RVM-2
12	LINSEED	JLS-73, JLS-41, AZAD ALSI-1
13	SUNFLOWER	NARI-57, SSF-708, KBSH-53
14	WHEAT	HD-3086, HD-2967, WH-1105, PBW-725, WH-1105, RAJ-3077, RAJ-3765
15	MAIZE	HKJ193.1, HKJ193.1, 163, 161, 1128

* कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्व फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Handwritten signature and date: 20/04/18

Handwritten signature: H. Kumar
2.4.18
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENSE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No ...28/2018.....Date ...03/04/2018.....




Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license मे0 कृषि विकास सहकारी समिति लि0 (मादरा, जयपुर) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business हरहर महादेव चौक, हरख रोड, बेगूसराय the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Sale	Place of Storage
मे0 कृषि विकास सहकारी समिति लि0 हरहर महादेव चौक, हरख रोड, बेगूसराय	मे0 कृषि विकास सहकारी समिति लि0 हरहर महादेव चौक, हरख रोड, बेगूसराय
उत्तर - नीज	उत्तर - ब्रह्मदेव साह
दक्षिण - सुबोध कुमार गुप्ता	दक्षिण - सुबोध कुमार गुप्ता
पुरब - नीज	पुरब - जय साह
पश्चिम - सड़क	पश्चिम - सड़क

Date :

Seal :


2.4.18
Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENSE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid upto...02/04/2021.....
(02 April 2021)
Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).